

वापस -157.


आदेश की
तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर गई
कार्रवाई टिप्पण
आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

14/10/2020 मूल पंजी II/जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। इस अवैध/संदिग्ध जमाबंदी के संबंध में भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत पूर्व से वाद सं०.....89..... के अन्तर्गत कार्यवाही संचालित है। चूंकि एक ही मामले में दो अलग-अलग वाद के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती है। इस कारण अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।


अंचल अधिकारी
तोरपा।

जमाबंदी वाद सं० :- 157

प्रश्नगत भूमि मौजा वुरीडावा खाता सं० 174 प्लॉट सं० 2314
रकबा 2.856 से संबंधित है। यह भूमि आर०एस० खतियान में गैरमजरूआ खास भूमि
तथा पंजी II के पृष्ठ सं० 174 भोल्युम सं० 5 में रैयत जि.क.दी. म.द.ती
के नाम पर दर्ज पाया गया।

उक्त जमाबंदी के विरुद्ध वाद सं० 89 के अन्तर्गत 4h की सुनवाई चल रही
है। चूंकि एक ही मामले पर दो अलग-अलग वाद के तहत सुनवाई उचित नहीं है। अतः इस वाद की
कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

राजस्व

राजस्व कर्मचारी

अंचल

अंचल निरीक्षक